कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री मोहन लाल बैरवा पुत्र श्री जयराम बैरवा निवासी डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा

अपील संख्या 34 / 2021

निर्णय

दिनांक 05.08.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना / नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना / नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल / सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को इस कार्यालय के पत्र कमांकः डीएम कोर्ट / 2021 / 1409 दिनांक 09.07.2021 एवं स्मरण पत्र कमांकः 1481 दिनांक 27.07.2021 द्वारा पत्र जारी कर प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट चाही गई, किन्तु लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को चाही गई सूचना / नकल उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांट को वांछित सूचना / नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(पीयुष समारियां)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा